मानिता=सम्मान की इच्छा का अभाव; **भवन्ति**=(ये) होते हैं; **सम्पदम्**=गुणों को; **दैवीम्**=दैवी; **अभिजातस्य**=प्राप्त हुए मनुष्य (के लक्षण); **भारत**=हे अर्जुन।

अनुवाद

श्रीभगवान् ने कहा, भय का अभाव, अन्तःकरण की निर्मलता, दिव्य ज्ञान का सेवन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शान्ति, दोष-दृष्टि का अभाव, जीवों पर दयाभाव, लोभ क अभाव, कोमलता, लज्जा, दृढ़ निश्चय, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा ईर्ष्या और सम्मान की इच्छा का अभाव—ये सब गण तो हे अर्जुन! दैवी प्रकृति को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं।।१-२-३।।

तात्पर्य

पन्द्रहवें अध्याय के प्रारम्भ में प्राकृत-जगतरूप पीपल के वृक्ष का वर्णन है। उसकी गौण जड़ों को जीवों की शुभ-अशुभ कर्मवासना बताया गया। नौवें अध्याय में भी प्राणियों की दैवी और आसुरी प्रकृतियों का उल्लेख है। वैदिक कर्मकाण्ड के अनुसार, सात्त्विक कर्म शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इनसे मुक्ति के पथ पर उन्नति होती है। ये कर्म दैवी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इस दैवी प्रकृति के आश्रय में स्थित पुरुष मोक्ष के पथ पर उन्नति करते हैं। दूसरी ओर, जो रजोगुणी अथवा तमोगुणी कर्म करते हैं, उनके लिए मुक्ति की कोई सम्भावना नहीं है। उन्हें या तो मनुष्ययोनि में ही रहना होगा अथवा पशु आदि अधम योनियों की प्राप्ति होगी। इस अध्याय में श्रीभगवान् दैवी प्रकृति और उसके गुणों का, आसुरी प्रकृति और उसके गुणों का वर्णन करते हैं। साथ ही, उन्होंने इन गुणों के हानि-लाभ का भी निर्देश किया है।

दैवी गुणों के साथ जन्मे पुरुष के लिए आया **अभिजातस्य** शब्द महत्त्वपूर्ण है। दैवी अथवा भगवत्परायण वातावरण में बालक को जन्म देने के लिए वेदों में गर्भाधान संस्कार का विधान है। यदि माता-पिता को दैवी गुणवान् पुत्र की अभिलाषा हो, तो उन्हें मनुष्य के दसविध संस्कारों का पालन अवश्य करना चाहिए। पूर्व में कहा जा चुका है कि सत्संतान के लिए लक्षित धर्मसम्मत काम श्रीकृष्ण का रूप है। काम का निषेध नहीं है, यदि कृष्णभावना के लिए उसका सदुपयोग किया जाय। जो कृष्णभावनाभावित हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते-बिल्ली के समान संतान को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अपितु उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्णभावनाभावित बालकों को जन्म देना हो। यह आवश्यक है कि कृष्णभावनाभावित माता-पिता के घर जन्मे बालकों को यह लाभ प्राप्त रहे।

वर्णाश्रमधर्म की समाज-व्यवस्था का उद्देश्य जन्म के आधार पर समाज को विभाजित करना नहीं है। समाज का विभाजन शैक्षणिक गुणों के अनुसार ही होना